



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267788
CG-DL-E-18112025-267788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5061]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 5061]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

का.आ. 5231(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 26 के कि.मी.239.280(कोक्सरा) से कि.मी.294.28(नबरंगपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, नबरंगपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 26 के कि.मी. 239.280(कोकसरा) से कि.मी. 294.28 (नबरंगपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: नबरंगपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नबरंगपुर					
गांव का नाम: तरागाओं					
1	120	सरकारी	रोड	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
2	131	निजी	पैडी-1	0.0057 (हेक्टेयर)	0.0057
3	132	सरकारी	गोधरासा	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
4	133	निजी	पैडी-1	0.0255 (हेक्टेयर)	0.0255
5	134	निजी	पैडी-1	0.0595 (हेक्टेयर)	0.0595
6	140	निजी	पैडी-1	0.0886 (हेक्टेयर)	0.0886
7	142	सरकारी	रोड	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
8	143	सरकारी	पतित	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
9	144	सरकारी	पतित	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
10	159	निजी	डांगर-2	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
11	160	निजी	बागायत	0.0243 (हेक्टेयर)	0.0243
12	161	निजी	डांगर-2	0.0688 (हेक्टेयर)	0.0688
13	161/1479/1493	निजी	घरबारी	0.0607 (हेक्टेयर)	0.0607
14	161/1479/1493	निजी	डांगर-ऐऐ	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
15	161/1479/1494	निजी	घरबारी	0.0971 (हेक्टेयर)	0.0971
16	165	निजी	घरबारी	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
17	166	निजी	डांगर-2	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
18	167	निजी	डांगर-2	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
19	169	निजी	डांगर-2	0.0053 (हेक्टेयर)	0.0053

20	28	सरकारी	नदी	0.093 (हेक्टेयर)	0.093
Total					0.6212

[फा. सं. RO/BBSR/NH/26/OD/2024-25/707/KSG/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2025

S.O. 5231(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH26 in the stretch of land for Widening and strengthening of existing 2-lane to 2-lane with paved shoulder from Km. 239/280 (Koksara) to Km. 294/280 (Nabarangpur) in the District of NABARANGPUR in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Nabarangppur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH26 in the stretch of land for Widening and strengthening of existing 2-lane to 2-lane with paved shoulder from Km. 239/280 (Koksara) to Km. 294/280 (Nabarangpur) in the District of NABARANGPUR in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: NABARANGPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nabarangpur					
Village: Taragaon					
1	120	Government	ROAD	0.004 (Hectare)	0.004
2	131	Private	PADDY-1	0.0057 (Hectare)	0.0057
3	132	Government	GODHARASA	0.015 (Hectare)	0.015

4	133	Private	PADDY-1	0.0255 (Hectare)	0.0255
5	134	Private	PADDY-1	0.0595 (Hectare)	0.0595
6	140	Private	PADDY-1	0.0886 (Hectare)	0.0886
7	142	Government	ROAD	0.004 (Hectare)	0.004
8	143	Government	PATITA	0.004 (Hectare)	0.004
9	144	Government	PATITA	0.015 (Hectare)	0.015
10	159	Private	DANGAR-2	0.005 (Hectare)	0.005
11	160	Private	BAGAYAT	0.0243 (Hectare)	0.0243
12	161	Private	DANGAR-2	0.0688 (Hectare)	0.0688
13	161/1479/1493	Private	GHARBARI	0.0607 (Hectare)	0.0607
14	161/1479/1493	Private	DANGAR-II	0.0202 (Hectare)	0.0202
15	161/1479/1494	Private	GHARBARI	0.0971 (Hectare)	0.0971
16	165	Private	GHARBARI	0.004 (Hectare)	0.004
17	166	Private	DANGAR-2	0.0045 (Hectare)	0.0045
18	167	Private	DANGAR-2	0.017 (Hectare)	0.017
19	169	Private	DANGAR-2	0.0053 (Hectare)	0.0053
20	28	Government	NADI	0.093 (Hectare)	0.093
Total					0.6212

[F. No. RO/BBSR/NH/26/OD/2024-25/707/KSG/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director